सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 65/2017

1. गुड्डी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी सावंतसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री अमनदीप सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी

:: आदेश :: **दिनांक :– 24.01.2019**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि इंतकाल जेर अपील स्वीकृत करने से पूर्व ना तो अपीलांटा को कोई शौकाज नोटिस दिया गया ना ही आपति सूचना प्रेषित की गई ना किसी नोटिस की किसी प्रकार से तामील अपीलांटा पर हुई ना कोई आपति सूचना किसी समाचार–पत्र में प्रकाशित की गई। इस प्रकार इंतकाल जेर अपील गलत व यकतरफा होने न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना ना होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। इंतकाल करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो इंतकाल नियमों की पालना की गई ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई जबकि कानूनन इंतकाल से पूर्व सभी प्रभावित पक्षकारो को नोटिस दिया जाना सुना जाना आवश्यक था। इंतकाल करने से पूर्व सर्वप्रथम प्रभावित को बुलाकर सुनकर इंतकाल दर्ज करने के लिए आदेश दिया जाना तथा इंतकाल दर्ज होने पर तस्दीक किया जा सकता है मगर इंतकाल जेर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी की रिपोर्ट पर तुरन्त ही गिरदावर ने दिनांक 14.10.14 को मिलान करने का दर्ज किया तथा दिनांक 15.10.2014 को इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया। यदि अपीलांटा को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह सही स्थिति प्रकट करती तथा रास्ता स्वीकृति के आदेश के खिलाफ भी तुरन्त सक्षम न्यायालय में अपील पेश करती क्योंकि रास्ता स्वीकृति का आदेश भी एकपक्षीय पारित किया गया है। इस प्रकार यह आदेश निरस्तनीय है जिसके खिलाफ अगल से अपील पेश की जा रही है क्योंकि तहसीलदार को धारा 8(2) रास्ता स्वीकृत करने के अधिकार ही हासिल नही रहे, अतः रास्ता स्वीकृति का आदेश भी बिना अधिकार होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। अपीलांटा के रकबा में से किसी रास्ता की आवश्यकता ही नहीं रही। नक्शा की प्रति शामिल है जिसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि किसी प्रकार से रास्ता की आवश्यकता नहीं रही है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें तथा अपीलांटा को सुनकर कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि इंतकाल जेर अपील स्वीकृत करने से पूर्व ना तो अपीलांटा को कोई शौकाज नोटिस दिया गया ना ही आपति सूचना प्रेषित की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गई ना किसी नोटिस की किसी प्रकार से तामील अपीलांटा पर हुई ना कोई आपति सूचना किसी समाचार–पत्र में प्रकाशित की गई। इस प्रकार इंतकाल जेर अपील गलत व यकतरफा होने न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना ना होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। इंतकाल करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो इंतकाल नियमों की पालना की गई ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई जबकि कानूनन इंतकाल से पूर्व सभी प्रभावित पक्षकारो को नोटिस दिया जाना सुना जाना आवश्यक था। इंतकाल करने से पूर्व सर्वप्रथम प्रभावित को बुलाकर सुनकर इंतकाल दर्ज करने के लिए आदेश दिया जाना तथा इंतकाल दर्ज होने पर तस्दीक किया जा सकता है मगर इंतकाल जेर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी की रिपोर्ट पर तुरन्त ही गिरदावर ने दिनांक 14.10.14 को मिलान करने का दर्ज किया तथा दिनांक 15.10.2014 को इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया। यदि अपीलांटा को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह सही स्थिति प्रकट करती तथा रास्ता स्वीकृति के आदेश के खिलाफ भी तुरन्त सक्षम न्यायालय में अपील पेश करती क्योंकि रास्ता स्वीकृति का आदेश भी एकपक्षीय पारित किया गया है। इस प्रकार यह आदेश निरस्तनीय है जिसके खिलाफ अगल से अपील पेश की जा रही है क्योंकि तहसीलदार को धारा 8(2) रास्ता स्वीकृत के अधिकार ही हासिल नही रहे, अतः रास्ता स्वीकृति का आदेश भी बिना अधिकार होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। अपीलांटा के रकबा में से किसी रास्ता की आवश्यकता ही नहीं रही। नक्शा की प्रति शामिल है जिसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि किसी प्रकार से रास्ता की आवश्यकता नहीं रही है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें तथा अपीलांटा को सुनकर कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अपील तहसीलदार के इन्तकाल दर्ज करने के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है, जबकि तहसीलदार का कोई आदेश रिकॉर्ड पर नहीं है। तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश क्रमांकः–राजस्व/573–74 दिनांक 26.03.2003 की पालना में इंतकाल नम्बर 635 दिनांक 15.10.2014 दर्ज किया गया है। उक्त अपील में तहसीलदार द्वारा स्वयं कोई आदेश नहीं दिया गया। जब तहसीलदार इंतकाल के बारे में उभयपक्ष को सुनकर विधिवत निर्णय करने का आदेश देता है तब अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में लाय करती है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के क्रमांकः–राजस्व/573–74 दिनांक 26.03.2003 की पालना में भरे गये इंतकाल नम्बर 635 दिनांक 15.10.2014 में कोई दखल किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/1/19

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर